

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./जउप्र/ फार्म पौण्ड/2025-26/ 14190-14361

दिनांक : 24/03/25

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त.....

विषय:- वर्ष 2025-26 में राज्य योजना/पीडीएमसी (ओआई) अन्तर्गत फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु विभागीय दिशा निर्देश।

राज्य में वर्षा जल संरक्षण के दृष्टिकोण से कृषकों के लिये फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य है। वर्षा जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य योजना/PM RKVY- PDMC(OI) योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में फार्म पौण्ड (खेत तलाई) निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

(अ) कृषकों के लिए निर्देश

1. अनुदान के लिये पात्रता :-

- 1.1. कृषक के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर का स्वामित्व हो तथा सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम 0.3 हैक्टेयर भूमि उनके हिस्से में हो, ऐसे कृषक फार्म पौण्ड निर्माण हेतु अनुदान के पात्र होंगे। संयुक्त खातेदारी की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा 0.3 हैक्टेयर होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के लिए पात्र होंगे, किन्तु एक फार्म पौण्ड से दूसरे फार्म पौण्ड के मध्य की दूरी 50 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। सह खातेदार यदि संयुक्त रूप से आवेदन करते हैं तो सभी कृषकों की मिलाकर न्यूनतम 0.3 हैक्टेयर भू-स्वामित्व होना आवश्यक है।
- 1.2. फार्म पौण्ड निर्माण के अंतर्गत कृषक स्वयं के नाम से अन्यत्र स्थित भूमि में भी फार्म पौण्ड निर्माण कराना चाहता है तो, ऐसे फार्म पौण्ड के निर्माण पर अनुदान देय होगा। एक कृषक को दूसरे फार्म पौण्ड पर अनुदान अन्यत्र स्थित भूमि/चक/अन्य खसरा के आधार पर देय होगा अन्यथा नहीं।
- 1.3. कृषक के स्वयं के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात् नामान्तरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने जायेंगे।
- 1.4. फार्म पौण्ड निर्माण पर फव्वारा/ड्रिप सिंचाई की स्थापना के उपरान्त ही कृषक को अनुदान देय होगा। नव निर्मित फार्म पौण्ड पर फव्वारा/ड्रिप सिंचाई सयंत्र पूर्व में स्थापित अथवा नव स्थापित हो सकता है।
- 1.5. फार्म पौण्ड निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अन्तर्गत पट्टा धारक कृषकों, जिनके पास 0.3 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि का पट्टा हो, अनुदान के पात्र होंगे। इस संबंध में FRA पट्टा धारक का हिस्सा केवल 10 प्रतिशत होगा और शेष 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता केन्द्र या राज्य सरकार अथवा दोनों द्वारा वहन किया जाएगा।

2. अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज:-

- 2.1. अनुदान हेतु कृषक को जमाबंदी की नकल (जमीन) सह खातेदारों की स्थिति में फार्म पौण्ड बनाना है, उसका राजस्व विभाग/हल्का पटवारी द्वारा जारी किया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by Chhimayee Gopal

Designation : Commissioner

Date: 2025.03.24 18:17:19 IST

Reason: Approved

- 2.2. जिन कृषकों का जन आधार में लघु/सीमान्त कृषक श्रेणी के रूप में पंजीयन है, उनको ही लघु/सीमान्त कृषक मानते हुए अनुदान हेतु पात्र माना जाएगा। यदि जनाधार में लघु/सीमान्त कृषक के पंजीयन की सुविधा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कृषकों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु/सीमान्त श्रेणी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, किन्तु जन-आधार में लघु/सीमान्त श्रेणी पंजीयन होने अथवा सक्षम स्तर से लघु/सीमान्त श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद कृषक की लघु/सीमान्त श्रेणी तभी मान्य होगी जब संलग्न जमाबन्दी के दस्तावेजों में कृषक के हिस्से में जमीन लघु/सीमान्त श्रेणी की सीमा में हो। संलग्न दस्तावेजों के अनुसार लघु/सीमान्त श्रेणी में होने पर ही इसका लाभ देय होगा।

3. आवेदन प्रक्रिया :-

- 3.1. कृषक नजदीकी ई मित्र केन्द्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर किसान/नागरिक लॉग इन पर जाकर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
- 3.2. आवेदन पत्र को ई-प्रपत्र (e-Form) में भरा जावेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड (scan & upload) करने होंगे।
- 3.3. आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी एवं आधार में पंजीकृत मोबाईल पर एसएमएस प्राप्त होगा।
- 3.4. आवेदन पत्र की Online Scrutiny के समय आवेदन में कोई कमी पायी जाने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाईल नम्बर पर इस बाबत एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिवस के अन्दर राज किसान साथी पोर्टल पर कमी की पूर्ति करनी होगी अन्यथा 15 दिवस के बाद आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदन निरस्त होने के बाद पुनः बहाल नहीं किया जाएगा।
- 3.5. आवेदनकर्ता आवेदन के पश्चात् राज किसान सुविधा मोबाईल एप पर आवेदन की स्थिति/प्रगति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
- 3.6. किसी भी स्थिति में ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4. अनुदान :-

- 4.1. वर्षा जल के संग्रहण एवं कुशलतम उपयोग के लिए RKVY- PDMC(OI)/राज्य योजनान्तर्गत फार्म पौण्ड निर्माण पर अनुदान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणी के कृषकों को कच्चे फार्म पौण्ड तथा प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर निम्नानुसार देय होगा :-

कच्चा फार्म पौण्ड निर्माण (इकाई लागत राशि रुपये 1,05,000/-)	
लघु एवं सीमान्त कृषक/ SC-ST कृषक	अन्य कृषक
कच्चा फार्म पौण्ड निर्माण पर अनुदान इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 73,500/-जो भी कम हो, देय होगा-	कच्चा फार्म पौण्ड निर्माण पर इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 63,000/-जो भी कम हो, देय होगा-
➤ RKVY-PDMC(OI) से इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 52,500/-	➤ RKVY-PDMC(OI) से इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 52,500/- एवं
➤ राज्य योजना से इकाई लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 21,000/-जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।	➤ राज्य योजना से टॉप-अप अनुदान इकाई लागत का 20 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 21,000/-जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।

Signature valid
Digitally signed by Chintamayee Gopal
Designation: Commissioner
Date: 2025.03.24 18:17:19 IST
Reason: Approved

प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण (इकाई लागत राशि रुपये 1,50,000 /-)	
प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर अनुदान इकाई लागत का 90 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 1,35,000 /- जो भी कम हो, देय होगा।	प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण पर अनुदान इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 1,20,000 /- जो भी कम हो, देय होगा।
➤ RKVY-PDMC(OI) से इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 75,000 /-	➤ RKVY-PDMC(OI) से इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 75,000 /-
➤ राज्य योजना से अनुदान इकाई लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 60,000 /- जो भी कम हो, देय होगा।	➤ राज्य योजना से टॉप -अप अनुदान इकाई लागत का 30 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 45,000 /- जो भी कम हो, देय होगा।

नोट : RKVY-PDMC(OI) में बजट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य योजना से बजट उपलब्ध करवाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण अनुदान का भुगतान राज्य योजना से किया जायेगा। कृषि आयुक्तालय के स्तर से बजट उपलब्धता के आधार पर पूर्व में आवंटित लक्ष्यों / योजना में बदलाव किया जा सकता है।

5. विभागीय मापदण्ड :-

- 5.1. फार्म पौण्ड खेत के निचले हिस्से में जहाँ पूरे खेत का पानी एकत्रित होता हो तथा पर्याप्त कैचमेंट एरिया हो, वहाँ बनाया जावे। पानी के भराव के लिए फार्म पौण्ड में इनलेट तथा जरूरत से ज्यादा पानी आने पर निकास की व्यवस्था जरूरी है, जिससे यह संरचना टूटे नहीं।
- 5.2. फार्म पौण्ड का निर्माण घनी आबादी वाले क्षेत्र/सड़क के किनारे से कम से कम 50 फीट की दूरी पर कराया जावे, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
- 5.3. उपरोक्त अनुदान की सीमा 1200 घन मीटर या इससे अधिक आकार का फार्म पौण्ड बनाये जाने पर देय है। कृषकों द्वारा न्यूनतम 400 घन मीटर या इससे अधिक आकार के फार्म पौण्ड का निर्माण करने पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना की जाकर अनुदान देय होगा। अनुदान अधिकतम सीमा से अधिक देय नहीं होगा।
- 5.4. फार्म पौण्ड निर्माण में खेत की स्थिति के आधार पर लम्बाई, चौड़ाई में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन फार्म पौण्ड की गहराई 3 मीटर से कम नहीं होगी। फार्म पौण्ड में ढलान 1:1.5 के अनुपात में होनी चाहिये।
- 5.5. कृषक द्वारा 3 मीटर से अधिक गहरा फार्म पौण्ड निर्मित किया जाता है तो कुल आयतन में 3 मीटर तक ही गहराई को सम्मिलित करते हुए लम्बाई व चौड़ाई की गणना की जाकर अनुदान राशि का निर्धारण किया जायेगा।
- 5.6. फार्म पौण्ड निर्माण करते समय गहराई की बाध्यता को ध्यान में रखते हुये पथरीले क्षेत्र, जहाँ पर 3 मीटर गहरा किया जाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) जिला परिषद् द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन कर, जिसमें एक तकनीकी अधिकारी भी हो, उक्त कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट में की गई अभिशंषा के आधार पर 2 मीटर तक की गहराई में शिथिलता दी जा सकती है। उसके अनुसार गणना की जाकर अनुदान देय होगा, परन्तु फार्म पौण्ड की गहराई 2 मीटर से कम किसी भी स्थिति में नहीं होगी।
- 5.7. प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड निर्माण अन्तर्गत कृषक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही या उनके अधिकृत वितरक/विक्रेता से बी.आई.एस मार्का प्लास्टिक शीट कय कर खेत पर पुरांत फार्म पौण्ड में सफलता पूर्वक बिछाई जाने पर ही कृषक को अनुदान देय होगा।
- 5.8. प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड हेतु प्लास्टिक शीट Polyethylene Films and Sheet/HDPE Geo Membrane बी.आई.एस. मानक का 500 माइक्रोन या

Signature valid

Digitally signed by Chhimayee

Designation : Commissioner

Date: 2025.03.24 18:17:19 IST

Reason: Approved

उससे अधिक जिसका बी.आई.एस. नम्बर: BIS 10889:2004, BIS- 2508:2016 & BIS- 15351:2015, BIS- 16352:2015 हो। प्लास्टिक शीट क़य का GST बिल अनिवार्य होगा।

- 5.9. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिंदु संख्या 4 के अनुसार मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में कृषि विभाग की योजनानुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी होने के क्रम में मंदिर के नाम खेती की जमीन पर फार्म पौण्ड निर्माण करने पर निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में अनुदान के लिये पात्र होंगे।
- 5.10. फार्म पौण्ड के निर्माण उपरांत डूबकर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव हेतु चारों कोनों पर चार प्लास्टिक की मजबूत रस्सियां/लोहे की चेन लगाने के उपरांत ही अनुदान जारी किया जा सकेगा।
- 5.11. फार्म पौण्ड बनाने के उपरान्त कृषक द्वारा लगाये जाने वाले बोर्ड पर चेतावनी हेतु लाल रंग से "सावधान/खतरा, गड़ढा गहरा है बच्चों को दूर रखें" का चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाये ताकि फार्म पौण्ड से जनधन/पशुधन को होने वाली हानि से रोका जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से फार्म पौण्ड के चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाई जाये। सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी। जिले को आवंटित लक्ष्यों में 10-15 प्रतिशत श्रमिक कार्य मनरेगा के माध्यम से पूर्ण कराये जावें।
- 5.12. कृषक द्वारा फार्म पौण्ड निर्माण उपरान्त निर्मित संरचना पर/के नजदीक लोहे के बोर्ड पर निम्नानुसार विवरण अंकित कराया जावे :-

बजट घोषणा वर्ष 2025-26 अन्तर्गत	
कृषि विभाग राजस्थान सरकार की अनुदान सहायता से निर्मित फार्म पौण्ड	
1. योजना का नाम	वर्ष
2. लाभान्वित कृषक श्री	पुत्र श्री..... मोबाईल नम्बर
.....	ग्राम..... पंचायत.....पंचायत समिति.....
3. स्वीकृत अनुदान राशि.....	रुपये
4. फार्म पौण्ड का आकार (लम्बाईXचौड़ाईXगहराई)	
5. भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम	व मोबाईल नम्बर
नाम कार्यालय	

- 5.13. कृषक द्वारा फार्म पौण्ड निर्माण का कार्य पूर्ण करने के बाद राजकिसान सुविधा मोबाईल एप के माध्यम से अथवा कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी को कार्य पूर्ण होने की सूचना दी जायेगी, ताकि भौतिक सत्यापन किया जा सके।
- 5.14. कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिये जाने के उपरान्त फार्म पौण्ड के रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी।

(ब) विभागीय कार्यालयों के लिए निर्देश:-

6. आवेदन पत्रों का निस्तारण :-

- 6.1. सभी श्रेणी के कृषक अनुदान के पात्र होंगे, जिसमें आवंटित कुल लक्ष्यों में से, अनुचित जाति को 17.83 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति को 13.48 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति प्रतिशत अनिवार्यतः स्वीकृत किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Chhimayee Gopal
Designation: Commissioner
Date: 2025.03.24 18:17:19 IST
Reason: Approved

- 6.2. ऑन लाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा Online Scrutiny की जावेगी।
- 6.3. जिलों में 'पहले आओ - पहले पाओ' (FIFO) के आधार पर ही आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा। गत वर्ष के लम्बित आवेदन एवं चालू वर्ष में प्राप्त आवेदन वरीयता के क्रम में शामिल किये जाएंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा Online Scrutiny की जावेगी। ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर पर आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व दिए गए प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर कृषक की पात्रता निर्धारित की जाएगी।
- 6.4. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् प्राथमिकता सूची में कृषक का चयन होने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व यदि आवेदक कृषक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उक्त जमीन/मुरब्बा/खसरा/चक/किला के संबंध में मृतक के स्थान पर वारिसों को प्रतिस्थापित करने हेतु वारिसों से नामान्तरण/जमाबन्दी की प्रति सहित पत्र लिया जाकर अन्य शेष वारिसों की सहमति के आधार पर किसी भी एक या एक से अधिक वारिसों के नाम संयुक्त रूप से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।
- 6.5. ऑनलाईन आवेदन उपरांत कृषक का प्राथमिकता सूची में चयन होने में अक्सर काफी लम्बा समय लग जाता है। इस दौरान भाईयों में जमीन का बटवारा होने या नये खाले के निर्माण होने की स्थिति में पानी की आवक का स्थान बदल जाने या अन्य विशेष परिस्थितिवश चक/खसरा न. /मुरब्बा/किला न. बदल जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद से स्वीकृति उपरांत कृषक के नाम बदले हुए चक/खसरा/मुरब्बा/किला न. की संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी-सीएडी/ आईजीएनपी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
- 6.6. यदि अपवाद स्वरूप जनाधार में कृषक की श्रेणी लघु/सीमान्त अंकित है परन्तु जमाबंदी में जमीन का स्वामित्व अधिक है तो ऐसे मामलों में जमाबन्दी में दर्ज जमीन के दस्तावेजों का परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा।
- 6.7. फार्म पौण्ड निर्माण के लिये खुदाई हेतु 10-15 प्रतिशत श्रमिक कार्य यथासंभव नरेगा से कार्य करवाये जायें। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा अभिसरण अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक प8(5) आ.कृ./ज. उ.प्र./मनरेगा/2020-21/1084-1207 दिनांक 28.01.2021 के अनुसार दिशा-निर्देशों का पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराये जावें। दिशा-निर्देश कृषि विभाग की वेब साईट पर भी उपलब्ध हैं।

7. प्री-वेरिफिकेशन

- 7.1. फार्म पौण्ड निर्माण का प्री-वेरिफिकेशन राज किसान साथी पोर्टल द्वारा आवंटित विभागीय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के समय कृषक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 7.2. पात्र कृषक का प्री-वेरिफिकेशन संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा सात दिवस में पूर्ण कर ऑनलाइन पत्रावली संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
- 7.3. फार्म पौण्ड निर्माण से पूर्व राजकिसान सत्यापन एप से जिला स्तर पर कृषक का पत्रावली का नक्शा मय खसरा संख्या तथा फार्म पौण्ड बनाये जाने की जांच के बाद राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

Signature valid
Digitally signed by Chhimee Gopal
Designation: Commissioner
Date: 2025.03.24 18:17:19 IST
Reason: Approved

- 7.4. फार्म पौण्ड निर्माण का प्री-वेरिफिकेशन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कृषक द्वारा आवेदित फार्म पौण्ड का स्थान किसी प्रकार के रकबा राज / रास्ता इत्यादि क्षेत्र में किसी भी रूप से न हो। ऐसे प्रकरण में अनुदान देय नहीं होगा।
- 7.5. यदि भौतिक सत्यापनकर्ता को सन्देह हो कि प्रस्तावित फार्म पौण्ड का स्थान सरकारी भूमि/ चारागाह/ सिवाय चक/ रास्ता इत्यादि क्षेत्र में है तो पटवारी से इस बाबत प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। सामान्य प्रकरण में पटवारी के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- 7.6. फार्म पौण्ड निर्माण हेतु आवेदन के समय अंकित खसरा में प्री-वेरिफिकेशन तक आवेदक की प्रार्थना पर परिवर्तन किया जा सकेगा। प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त खसरा संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

8. प्रशासनिक स्वीकृति :-

- 8.1. प्री-वेरिफिकेशन उपरान्त संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/ जिला विस्तार अधिकारी कार्यालय अनुदान हेतु पात्र फार्म पौण्ड निर्माण की पत्रावलियों की 15 दिवस में कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर कार्य कराये जाने हेतु "प्रशासनिक स्वीकृति" जारी करेगा।
- 8.2. विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात यदि कृषक द्वारा 60 दिवस में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो कृषक को एसएमएस के माध्यम से अंतिम सूचना देते हुए कार्य पूर्ण किये जाने हेतु 30 दिन की मोहलत दी जा सकेगी। उक्त 30 दिवस में भी कार्य पूर्ण नहीं करने पर प्रशासनिक स्वीकृति को निरस्त माना जाएगा ताकि वरियता क्रम में आने वाले अगले कृषक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकें। विशेष परिस्थितियों में कृषकों के व्यापक हित में कृषि आयुक्तालय द्वारा उक्त अवधि में शिथिलता दी जा सकेगी।
- 8.3. वित्तीय वर्ष में जारी प्रशासनिक स्वीकृति पर कृषक द्वारा 31 मार्च 2026 तक ही कार्य पूर्ण किया जाएगा।
- 8.4. योजना के प्रावधान अनुसार जिले को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के मध्यनजर ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे। भौतिक लक्ष्य वित्तीय सीमा तक बढ़ाये जा सकते हैं। आवेदनों के निरस्तीकरण को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार आवंटित लक्ष्यों से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सकती है।
- 8.5. कार्यालय द्वारा जारी "प्रशासनिक स्वीकृति" के संबंध में संबंधित कृषक को मोबाईल पर एस.एम.एस भेजा जायेगा। संबंधित सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भी कृषक को सूचित किया जावेगा जिससे कृषक कार्य प्रारम्भ कर सके।
- 8.6. कृषक के आवेदन के आधार पर प्लास्टिक लाइनिंग के स्थान पर कच्चा फार्म पौण्ड के परिवर्तन की स्वीकृति/ संशोधित स्वीकृति सहा.निदे. कृषि (वि.) स्वयं के स्तर पर जारी की जा सकेगी।
- 8.7. फार्म पौण्ड के निर्माण में कच्चे से प्लास्टिक लाइनिंग में परिवर्तन की स्वीकृति, विशेष परिस्थिति में योजना प्रभारी कृषि आयुक्तालय द्वारा दी जा सकेगी।
- 8.8. फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान हेतु सिंचित क्षेत्र विकास विभाग क्षेत्राधिकार के कृषकों के आवेदनों की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिला विस्तार अधिकारी/ कृषि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।
- 8.9. कृषक के नाम प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात कृषक के मृत्यु होने पर कृषक के कानूनन वारिस को अनुदान राशि के समान राशि के साथ पोर्टल में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जिला प्रमुख के द्वारा जारी की जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Chinmayee

General Designation: Commissioner

Date: 2025/03/24 18:17:19 IST

Reason: Approved

9. भौतिक सत्यापन :-

- 9.1. कृषक द्वारा फार्म पौण्ड निर्माण के उपरान्त भौतिक सत्यापन राज किसान साथी पोर्टल द्वारा आवंटित विभागीय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के समय कृषक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 9.2. भौतिक सत्यापन के समय सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 9.3. फार्म पौण्ड की गहराई की माप जमीन की सतह से की जावे, ना कि पौण्ड के किनारे पर बनाई गयी मेड से।
- 9.4. प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत बनाये गये फार्म पौण्ड पर ही अनुदान देय होगा। प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व में बनाये गये फार्म पौण्ड पर अनुदान देय नहीं होगा।
- 9.5. भौतिक सत्यापन के दौरान संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी अनुदान हेतु पात्र कृषक के फार्म पौण्ड निर्माण का राजकिसान सत्यापन ऐप के माध्यम से जियो-टैगिंग कर कृषक का फोटो, खेत के नक्शा मय खसरा संख्या अंकित कर अपलोड करेंगे।
- 9.6. भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में मौके पर ही फार्म पौण्ड निर्माण हेतु कृषक को इस खसरा में पूर्व में अनुदान नहीं दिया है, यह अंकित किया जाए।
- 9.7. भौतिक सत्यापन का वास्तविक उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि लाभार्थी द्वारा वास्तव में फार्म पौण्ड निर्माण कर लिया गया है तथा अनुदान का पात्र है। भौतिक सत्यापन सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा पूर्ण उत्तरदायित्व से किया जाना अपेक्षित है।
- 9.8. यदि भौतिक सत्यापन के समय फार्म पौण्ड का निर्माण मापदण्ड के अनुरूप नहीं है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता कृषक को एसएमएस के द्वारा कारण सहित अवगत कराई जावेगी या राज किसान सुविधा ऐप में भी कृषक देख सकेंगे।

10. वित्तीय स्वीकृति :-

- 10.1. कृषि आयुक्तालय से जिले को आवंटित निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में वर्ष 2024-25 की लम्बित देनदारियों को कम करते हुए ही वर्ष 2025-26 के लिए शेष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण उप जिला स्तर पर करते हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें।
- 10.2. वर्ष 2024-25 की लम्बित देनदारियों का निस्तारण प्राथमिकता से करें तथा देनदारियों के लिए किसी भी स्थिति में कृषि आयुक्तालय से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य लक्ष्यों/बजट का आवंटन नहीं किया जायेगा।
- 10.3. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) यह सुनिश्चित करेंगे कि फार्म पौण्ड निर्माण में कृषि आयुक्तालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जा रही है।
- 10.4. भौतिक सत्यापन में फार्म पौण्ड का निर्माण सही पाये जाने पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु पत्रावली सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा अपने जिले के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद् के माध्यम से संबंधित खण्ड के अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार), को भेजी जायेंगी।
- 10.5. इ.गा.न.प. क्षेत्र/सीएडी क्षेत्र में फार्म पौण्ड निर्माण के पश्चात् भौतिक सत्यापन उपरान्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु संबंधित जिला विस्तार अधिकारी कार्यालय द्वारा उप निदेशक कृषि (विस्तार), इ.गा.न.प./परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार), सिंचित क्षेत्र विकास विभाग को भेजी जायेगी।
- 10.6. उप निदेशक कृषि (विस्तार) सिंचित क्षेत्र विकास, आई.जे.एन.पी., बिकार/प. योजना निदेशक सीएडी कोटा द्वारा फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत आवेदन पत्रावली वित्तीय स्वीकृति हेतु संबंधित अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) को भेजी जायेगी।

Signature valid

Digitally signed by Chhimayee Gopal

Designation : Commissioner

Date: 2025.03.24 18:17:19 IST

Reason: Approved

जाएगी। संबंधित खण्ड के अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) को इ.गा.न.प. क्षेत्र/सीएडी क्षेत्र के वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

- 10.7. फार्म पौण्ड के भौतिक सत्यापन उपरान्त विभागीय दिशा-निर्देशानुसार पाये जाने पर कृषकों को अनुदान राशि का भुगतान जनाधार से जुड़े खाते में संबंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्/उप निदेशक सिंचित क्षेत्र विकास, इ.गा.न.प./परियोजना निदेशक सीएडी द्वारा किया जायेगा।

11. निरीक्षण :-

- 11.1. स्वीकृत कार्यों का अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड द्वारा 2 प्रतिशत, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद्/उप निदेशक सिंचित क्षेत्र विकास, इ.गा.न.प./परियोजना निदेशक सीएडी कोटा द्वारा 5 प्रतिशत, संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा 5 प्रतिशत, कृषि अधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण राज किसान साथी पोर्टल पर विकसित मोड्यूल के माध्यम से किया जावेगा।
- 11.2. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् प्रत्येक माह की कार्य योजना तैयार की जाकर क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों से विचार विमर्श कर निर्धारित कार्यों की समय-2 पर समीक्षा कर प्रत्येक माह प्रगति से खण्डीय कार्यालय को अवगत करायेगे।

12. सामान्य निर्देश:-

- 12.1. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् यह सुनिश्चित करेंगे कि फार्म पौण्ड कार्यक्रम जिला सिंचाई योजना (DIP) के कार्यों में शामिल कर स्वीकृत करवा दिये गये हैं।
- 12.2. उप जिला/जिला स्तर पर स्वीकृति प्रदत्त आवेदनों के रिकार्ड का संधारण किया जावेगा।
- 12.3. कृषि आयुक्तालय से जिले को आवंटित निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में से वर्ष 2024-25 की लम्बित देनदारियों को कम करते हुए ही वर्ष 2025-26 के लिए शेष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए संबंधित जिलाधिकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करें।
- 12.4. आवंटित लक्ष्यों में मांग/समर्पण, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् के माध्यम से भिजवाने पर ही मुख्यालय स्तर से परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 12.5. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले को आवंटित निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत 31 मार्च 2025 को ऐसे कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं एवं जिनका भौतिक सत्यापन किया जा चुका है अर्थात केवल बजट अभाव/पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण भुगतान नहीं हो पाया ऐसे आवेदन ही वित्तीय वर्ष की लम्बित देनदारी में माने जाएंगे।
- 12.6. फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी मामले के विवाद में आयुक्त कृषि, जयपुर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा। न्यायिक मामलों में क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
- 12.7. फार्म पौण्ड निर्माण पर अनुदान उपरान्त भुगतान किये जाने के साथ लाभान्वित कृषक सूची कृषि आयुक्तालय की ए.सी.पी. शाखा द्वारा विभाग के वेब पोर्टल/जन सूचना पोर्टल पर अपलोड की जावेगी।
- 12.8. फार्म पौण्ड निर्माण का कार्यक्रम यदि किसी अन्य योजना में भी लिया जाता है तो उक्त दिशा-निर्देश उस में भी लागू होंगे।
- 12.9. जिलों को फार्म पौण्ड के आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित प्रगति की प्रत्येक माह की सूचना आगामी माह की 3 तारीख तक, संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद्, जयपुर को प्रकोष्ठ शाखा कृषि आयुक्तालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की सूचना दी जायेगी। खण्डीय अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), प्रत्येक माह कार्यक्रम मुख्यालय को अवगत करायेगे।

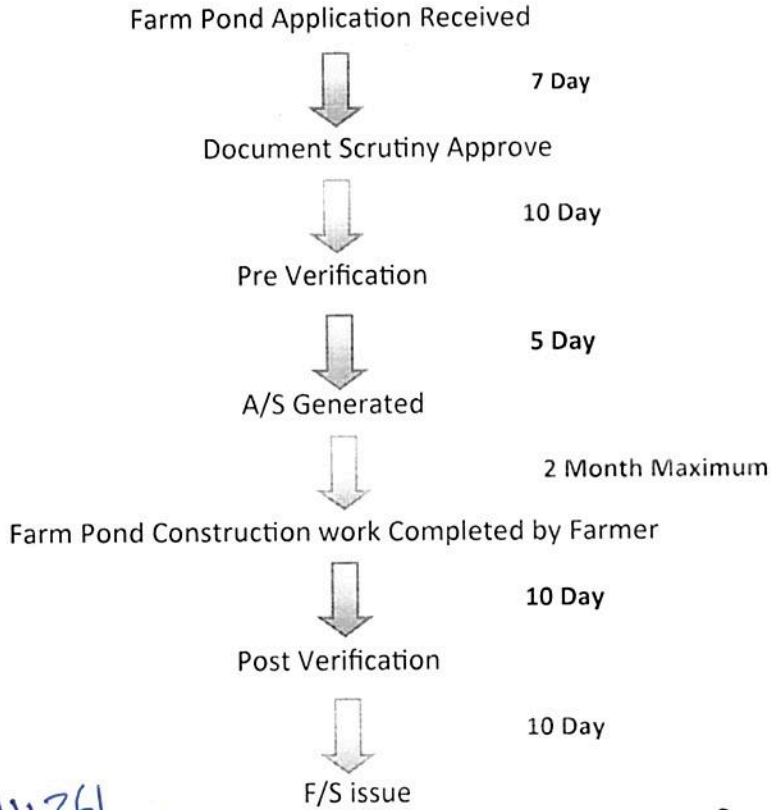
Signature valid

Digitally signed by Chintan Gopal
Designation: Commissioner
Date: 2025.08.24 18:19:15
Reason: Approved

- 12.10. राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से फार्म पौण्ड निर्माण कार्यक्रम हेतु ऑनलाईन आवेदन 30 सितम्बर 2025 तक प्राप्त किये जाएंगे। गत वर्ष के लम्बित आवेदन एवं चालू वर्ष में प्राप्त आवेदनों की प्रशासनिक स्वीकृति 31 अक्टूबर 2025 तक ही जारी की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि बढ़ायी जा सकेगी। आवेदन पत्रों का निस्तारण निम्न समय सारणी अनुसार किया जाएगा:-

क्र.सं.	आवेदन पत्रावली का निस्तारण	वर्ष 2025-26											
		अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
1.	ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2.	डॉक्यूमेंट स्क्रुटनी (दस्तावेज जांच)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
3.	प्रशासनिक स्वीकृति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
4.	पूर्ण कार्य का भौतिक सत्यापन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	वित्तीय स्वीकृति	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Work Flow Chart - Farm Pond



कमांक एफ 8()/आ.कृ./जउप्र/ फार्म पौण्ड/2025-26/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

(चिन्मयी गोपाल)
Signature valid

Digitally signed by Chhima
Gopal
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.24 18:17:19 IST
Reason: Approved

4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त.....।
9. निजी सचिव, आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, समस्त.....।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. निदेशक, आत्मा, राज्य कृषि प्रबन्धन संस्था परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर।
16. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/उद्यान, मु0 जयपुर।
17. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त खण्ड
18. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन /आदान/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्यालय जयपुर।
19. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा/संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग (प्रभारी राज किसान साथी पोर्टल)
20. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद
21. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
22. उप निदेशक कृषि (सूचना/एनएमओओपी/सांख्यिकी/विस्तार)मु. जयपुर।
23. ए.सी.पी. कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावे।
24. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर
25. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी

आयुक्त कृषि

Signature valid

Digitally signed by Chhimayee Gopal

Designation : Commissioner

Date: 2025.03.24 18:17:19 IST

Reason: Approved